न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान — सरकार बनाम ओमप्रकाश

मुकदमा न. 23/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

06.07.2018	पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी ओमप्रकाश गोदारा पुत्र रामलाल निवासी पीरोवाला जोड़ो के पास गोदारा की ढ़ाणी कटराथल मैसर्स– दुध मानसागर डेयरी बूथ नं. 13652 हाल दुध मान सागर डेयरी पुरा की ढ़ाणी सीकर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी नम्बर एफ– 947 वस्तु गाय का दुध का नमूना लिया गया । राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Substandard Food का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया, परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी ओम प्रकाश के 5,000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया । 6/7/18

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official